राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
जी–3/1, अम्बेडकर भवन, राजमहल रेजीडेन्सी क्षेत्र, जयपुर

क्रमांक :–एफ.9(05)(12–II)सासुपें/पेंशन नियम/सान्याअवि/2014–15/ 3881 जयपुर दिनांक 24/6/19

आदेश

राजस्थान सामाजिक सुरक्षा विशेष योग्यजन पेंशन नियम 2013 के अध्याय–1 के नियम–3 का उपनियम–(iv) को निम्नानुसार संशोधित/प्रतिस्थापित किया जाता है:–

नियम–3(iv) :– पेंशन की राशि से अभिप्रेत है, सरकार द्वारा सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत स्वीकृत मासिक भुगतान राशि से है, जो निम्नानुसार है :–

क्र.स.	विकलांगता श्रेणी एवं आयु वर्ग	पेंशन की दर
1	किसी भी आयु का विशेष योग्यजन व्यक्ति जो अन्धता,अल्प दृष्टि, चलन निःशक्तता, श्रवण शक्ति ह्रास, मानसिक मंदता, मानसिक रोगी में किसी एक अथवा अधिक विकलांगता (40 प्रतिशत एव अधिक विकलांगता) प्राकृतिक रूप से बौनेपन (वयस्क व्यक्ति के मामले में उसकी ऊंचाई 3 फीट 6 इंच से कम हो एवं प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी के प्रदत्त प्रमाण–पत्र धारक हो) तथा प्राकृतिक रूप से हिंजड़ेपन से ग्रसित हो, के मामले में–	
	(i) 55 वर्ष से कम आयु की महिला एवं 58 वर्ष से कम आयु के पुरूष पेंशनर को –	रु. 750/–प्रतिमाह
	(ii) 55 वर्ष व अधिक की महिला तथा 58 वर्ष व अधिक के पुरूष किन्तु 75 वर्ष से कम आयु के पेंशनर को –	रू. 1000/–प्रतिमाह
	(iii) 75 वर्ष व अधिक आयु के पेंशनर को –	रू. 1250/–प्रतिमाह
2	किसी भी आयु वर्ग के कुष्ठ रोग मुक्त विशेष योग्यजन पेंशनर को –	रु. 1500/–प्रति माह

यदि प्रार्थी राजस्थान सरकार/केन्द्र सरकार/अन्य राज्य सरकार/स्थानीय निधि या किसी कानूनी निकाय, निगम, प्राईवेट निकाय/संस्था या अन्य स्त्रोत से पेंशन, निर्वाह भत्ता या अन्य कोई लाभ प्राप्त कर रहा हो तो वह उक्त वर्णित पेंशन या लाभ में से जो भी लाभदायक हो, पाने का अधिकारी होगा।

यह आदेश वित (व्यय–2) विभाग की अन्तर्विभागीय टीप संख्या 131960100 दिनांक 18.06.2019से प्राप्त सहमति के अनुक्रम में जारी किये जाते है।

उक्त संशोधन /प्रतिस्थापन आदेश दिनांक 01.07.2019 से प्रभावी होगा।

(अखिल अरोरा)
प्रमुख शासन सचिव

D:\stuti goswami\pension order.docx

Scanned by CamScanner

3882-4482

क्रमांक :–एफ.9(05)(12–II)सासुपें/पेंशन नियम/सान्याअवि/2014–15/ जयपुर दिनांक 24/6/19

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान जयपुर।
2. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज. जयपुर।
3. विशिष्ठ सहायक, माननीय राज्यमंत्री महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज.जयपुर।
4. उप सचिव, मुख्य सचिव राजस्थान, जयपुर।
5. प्रधान महालेखाकार, राजस्थान जयपुर।
6. अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान जयपुर।
7. अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग राजस्थान जयपुर।
8. प्रमुख शासन सचिव, आयोजना विभाग/सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग/ नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राज.जयपुर।
9. संभागीय आयुक्त (समस्त)/जिला कलक्टर (समस्त) को अपने अधीनस्थ संबंधित उपखण्ड अधिकारियों को सूचित करने हेतु।
10. मुख्य कार्यकारी अधिकरी, जिला परिषद समस्त को अपने अधीनस्थ संबंधित विकास अधिकारियों को सूचित करने हेतु।
11. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय–2) विभाग/वित्त (नियम) अनुभाग, शासन सचिवालय राजस्थान जयपुर।
12. निदेशक, कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर को अपने अधीनस्थ समस्त संबंधित जिला कोषाधिकारी/उप कोषाधिकारीयों को सूचित करने हेतु।
13. संयुक्त निदेशक, आई एफ एम एस, निदेशालय कोष एवं लेखा राजस्थान, जयपुर।
14. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एनआईसी वित्त भवन जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि ऐसे लाभार्थियों की जानकारी कर विभागीय डाटाबेस में भामाशाह डाटाहब के माध्यम से अद्यतन किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जावें।
15. संयुक्त निदेशक (आई टी)/एसीपी (पेंशन) कप्यूटर शाखा, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज.जयपुर।
16. समस्त उप निदेशक/सहायक निदेशक/जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज. जयपुर।
17. आदेश पत्रावली।

निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव

D:\stuti goswami\pension order.docx

Scanned by CamScanner